भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3904
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

गवाहों के समक्ष खतरे

3904. डा. ए. चैल्ला कुमार :

डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्याय प्रणाली में शामिल गवाह के जीवन के खतरों के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अदालतों में गवाही देने वाले गवाहों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना बनाई है ;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी श्रेणियों की पहचान की गई है ;

(घ) इस उद्देश्य के लिए केन्द्र और राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली निधियों का अनुपात कितना है ; और

(ङ) क्या योजना को वैधानिक समर्थन देने के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ख) : गृह मंत्रालय ने धमकी के मूल्यांकन के आधार पर गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'साक्षी सुरक्षा योजना, 2018' तैयार की है और सुरक्षा उपायों में अन्य बातों के साथ, साक्षी की पहचान का संरक्षण/परिवर्तन, उनका पुन:स्थापन, साक्षियों के निवास पर सुरक्षा युक्ति का प्रतिष्ठापन, विशेष रुप से परिकल्पित न्यायालय कक्षों का उपयोग, आदि सम्मिलित है ।

(ग) : स्कीम, धमकी के प्रतिबोधन के अनुसार साक्षियों के तीन वर्ग उपबंधित करती है :

वर्ग 'क' : जहां धमकी का विस्तार अनुसंधान/विचारण के दौरान या उसके पश्चात्, साक्षी या उसके पारिवारिक सदस्यों के जीवन तक है ।

वर्ग 'ख' : जहां धमकी का विस्तार अनुसंधान/विचारण के दौरान या उसके पश्चात्, साक्षी या उसके पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा, ख्याति या संपत्ति तक है ।

वर्ग 'ग' : जहां धमकी साधारण प्रकृति की है और उसका विस्तार अनुसंधान/विचारण के दौरान या उसके पश्चात्, साक्षी या उसके पारिवारिक सदस्यों को उत्पीड़ित करने या अभित्रास करने तक है ।

(घ) : स्कीम, स्कीम के व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य साक्षी सुरक्षा निधि का उपबंध करती है। निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

i. राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया गया बजट-संबंधी आबंटन ;

ii. साक्षी सुरक्षा निधि में न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा निक्षिप्त की जाने वाली अधिरोपित या आदेश की गई कॉस्ट की रकम की प्राप्ति ;

iii. केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अनुज्ञात लोकोपकारक/पूर्त संस्थाओं/संगठनों और व्यष्टियों द्वारा संदान/अभिदान ;

iv. सामूहिक सामाजिक दायित्व के अधीन निधियों का अभिदान।

(ड.) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2016 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 156 में तारीख 05.12.2018 को दिए गए उसके निर्णय में स्कीम का समर्थन किया है। संविधान के अनुच्छेद 141/142 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में अनुसमर्थित साक्षी सुरक्षा स्कीम, 2018 भारत राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है और सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवर्तनीय है।

****